3

10.03.2021

पत्रावली आज सिग्गे से प्रार्थनापत्र बाबत शीघ्र सुनवाई मंजूर किये जाने से प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित। वादी स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित होकर मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में इसी आशय का एक राजीनामा पत्र/प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, इस पर उपस्थित प्रतिवादीगण ने अपनी और से सहमति व्यक्त करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.24 12:59:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

10.03.2021
पत्रावली आज सिग्गे से प्रार्थनापत्र बाबत शीघ्र सुनवाई स्वीकार किये जाने से प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित। चुंकि इस प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित मूल वाद संख्या 261/2016 धारा 188 आर टी एक्ट को आज प्रत्याहृत कर, निर्णित किया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में आदेशिका दिनांक 29.09.2014 से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निष्प्रभावी करते हुए, आगे कि कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वादपत्र संख्या 261/2016 के साथ नत्थी रहें।

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.24 12:59:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner